बिहार पशु चिकित्सा संघ

कार्यालय - विद्यापति मार्ग, पटना-800001

डॉ० विनोद कुमार मुक्ता

प्रधान महासचिव

मो० 7488601083

e-Mail : bvapatna@gmail.com

पत्रांक- ....41......... **दिनांक- ....25-04-2020......**

सेवा में,

सचिव महोदय,

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,

बिहार, पटना ।

विषय ः–योजना अन्तर्गत चल रहे 315 पशु चिकित्सालयों एवं बिहार पशु चिकित्सा परिषद् की स्थापना को गैर योजना में स्थानांतरित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबध में सादर निवेदन करना है कि विभाग के राज्यादेश संख्या 1340, दिनांक 28.03.2011 एवं 70, दिनांक 18.01.2017 द्वारा कुल 315 पशुचिकित्सालयों के पशुचिकित्सकों एवं कर्मियों के पदों का सृजन किया गया है तथा विभाग के राज्यादेश संख्या – 9755, दिनांक 29.10.1985 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिहार पशु चिकित्सा परिषद् की स्थापना की योजना की स्वीकृति दी गई है। वर्त्तमान में विभाग द्वारा योजना के माध्यम से इन 315 पशु चिकित्सालयों एवं बिहार पशु चिकित्सा परिषद् का कार्य सम्पादन किया जा रहा है। योजना अंतर्गत स्थापना होने के कारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान किये जाने की आवश्यकता होती है। अवधि– विस्तार स्वीकृत होने तक इन पशु चिकित्सालयों एवं परिषद् अंतर्गत कार्यरत पशु चिकित्सकों एवं कर्मियों का वेतन भुगतान अवरुद्ध रहता है, जिसके कारण कार्यरत कर्मियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनहित में इन 315 पशु चिकित्सालयों एवं परिषद् का संचालन भविष्य में भी नितांत आवश्यक है।

अतः श्रीमान् से सादर अनुरोध है कि योजनान्तर्गत चल रहे 315 पशु चिकित्सालयों एवं परिषद् के स्थापना को यथाशीघ्र गैर योजना में स्थानान्तरित करने हेतु समुचित दिशा–निर्देश संबंधित प्रभाग को देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

25.04.20

अनुलग्नक ः– यथोक्त।

(डा0 विनोद कुमार मुक्ता)

प्रधान महासचिव

संख्या–4पी॥4॥205/85–प0पा0–9755

बिहार सरकार,
पशुपालन एवं मत्स्य विभाग,
॥पशुपालन॥ ।

पटना–15, दिनांक 29 अक्टूबर, 85 ।

प्रेषक

श्री ए0के0मुखर्जी,
सरकार के विशेष सचिव ।

प्रेषित

महालेखाकार, बिहार,
पो0–हिनू, रांची/विस्कोमान भवन, पटना ।

× अनौपचारिक रूप से परामर्शित । × द्वारा – वित्त विभाग ।

विषय:– चालू वित्तीय वर्ष 1985–86 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्य पशुचिकित्सा परिषद् की स्थापना की योजना की स्वीकृति ॥नई प्लान योजना॥ ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि राज्य सरकार का अभिमत है कि इस योजना का कार्यान्वयन 1985–86 वर्ष से किया जाय/ परन्तु 35 [illegible] किया जाय/ अतएव राज्य [illegible] यह निर्णय लिया है कि मौजूदा संयुक्त निदेशक॥मुख्यालय॥पशुपालन विभाग को ही इस कार्य का प्रभारी बनाया जाय और इस कार्य के अतिरिक्त बोझ के लिए उन्हें 200=00॥दो सौ रूपये॥प्रतिमाह की दर से परिषद भत्ता दिया जाय । इस प्रकार 1985–86 वर्ष में मात्र 1200=00॥बारह सौ रूपये॥ की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2– व्यय का विकलन बजट शीर्ष "310–पशुपालन–अन्य पशुधन विकास–केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना–पशुचिकित्सा परिषद" से होगा । 1985–86 के बजट में फिलहाल उपबंध नहीं है । व्यय की गयी राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार एवं 50 प्रतिशत व्यय–भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायगा । भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या– 23–132/85–एल0डी0टी0॥एल0एच0एस0॥ दिनांक 27–3–85 के जरिये 0.20लाख रूपये की विमुक्ति की जा चुकी है ।

[हस्तलिखित हाशिया: व्यय प्रस्ताव अनुपूरक पारित होने के पश्चात किया जायेगा]

3– इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संयुक्त निदेशक ॥मुख्यालय॥पशुपालन विभाग होंगे । निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इस योजना के सर्वोपरि नियंत्रण निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे ।

क्रमश:–––2––/––

3)

4(क)- वित्त विभाग के पत्र संख्या-5409 वि0(2) दिनांक 28-8-85 के अनुसार महालेखाकार, बिहार, राँची से अनुरोध है कि वेतन एवं भत्ते को छोड़कर अन्य मदों से संबंधित व्यय के लिए राशि की विमुक्ति निम्न किस्तों में करने के लिए प्राधिकृत किया जाय -

1) 40 प्रतिशत 30 सितम्बर तक

2) 25 प्रतिशत अतिरिक्त 31 दिसम्बर तक

3) शेष 35 प्रतिशत 1 जनवरी से 31 मार्च तक ।

4(ख)- सृजित किये जा रहे नये पदों को गैर योजना में उपलब्ध पदों के धारकों से भरा जायगा एवं गैर-योजना के पदों को abeyance में रखा जायगा यदि यह संभव नहीं हो सका तो वित्त विभाग की सहमति से नये पदों को बाहरी व्यक्ति से भरने का निर्णय संसूचित करने के पश्चात् ही नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाते हुए पदों को भरा जाएगा ।

5- यदि केन्द्र चालित या केन्द्र प्रायोजित योजना/स्कीमों में राज्य सरकार के हिस्से की राशि केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त राशि के समतुल्य या ऊपर अंकित प्रतिशत जो भी कम हो के तुलनात्मक विमुक्त की जाय । केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्ति की सम्पुष्टि होने के पश्चात ही इस तरह की स्कीमों से संबंधित राज्यादेश में सहमति दी जाय ।

6- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या-1048 दिनांक 22-6-85 द्वारा गठित अधिकृत समिति द्वारा इस योजना स्कीम में सहमति प्रदान की गयी है ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञाप संख्या- 9755 पटना-15, दिनांक 29 अक्टूबर, 85 ।

प्रतिलिपि अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना एवं बजट शाखा)/ योजना विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव ।

क्रमशः-//--3--

//-3-//

ज्ञाप संख्या- 9755   पटना-15, दिनांक 29 अक्टूबर, 85 ।

प्रतिलिपि अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन आयुक्त भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय कृषि विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि भारत सरकार के अंशदान की शेष राशि कृपया शीघ्र विमुक्त की जाय ।

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञाप संख्या- 9755   पटना-15, दिनांक 29 अक्टूबर, 85 ।

प्रतिलिपि निदेशालय के सभी पदाधिकारियों/विभाग के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/योजना से संबंधित सभी अधीनस्थ पदाधिकारी/निदेशालय के सभी सहायक एवं सांख्यिकी कर्मचारी/10 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सांख्यिकी इकाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

संयुक्त निदेशक योजना एवं परि0

29/x/85